2025

ELECTION DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR

Bid Document for open Bid

[Single stage Two Envelope Open Offline Bid] for "Annual Maintenance of Computers, Printers with parts and Other Services"

निर्वाचन विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांक - 92 दिनांक - 06/01/2026

बोली आमंत्रण–सूचना

निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर में स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक वर्ष के लिए पार्टस सहित वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC with Parts) किए जाने हेतु पंजीकृत बोलीदाताओं से मुहरबंद (तकनीकी–वाणिज्यक एवं वित्तीय)खुली प्रतियोगी बोली निम्नांकितानुसार आमंत्रित की जाती है :–

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत रू.	बोली प्रतिभूति शुल्क रू.	बोली प्रपत्र शुल्क रू.	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी वाणिज्यक बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरण की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक वर्ष की अवधि हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध पार्टस सहित (AMC with Parts)	250000	5000	100	19.01.2026 दिनांक 03.00 बजे	19.01.2026 दिनांक 04.30 बजे

(1) बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व विभागीय वेबसाईट **election.rajasthan.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

(2) बोली प्रपत्र निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर से कार्यालय समय में दिनांक 19.01.2026 को दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है तथा बोलीदाताओं द्वारा मुहरबंद बोली प्रपत्र दिनांक 19.01.2026 को दोपहर बाद 03.00 बजे तक शासन सचिवालय में निर्वाचन विभाग खाद्य भवन फस्ट फ्लोर कक्ष संख्या 7126 में जमा करायी जा सकती है।

(3) बोली प्रतिभूति राशि रू 5000/– एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 100/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राज.जयपुर" के

पक्ष में बनाना होगा। बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क eGRAS चालान के माध्यम से भी जमा कराई जा सकती है। जिन बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी–वाणिज्यक बोली प्रपत्रों के साथ बोली प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई जायेगी उनकी बोली निरस्त कर दी जायेगी।

(4) तकनीकी–वाणिज्यक बोली दिनांक 19.01.2026 को दोपहर 04.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।

(5) किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

(सुरेश चन्द्र)
कार्यालयाध्यक्ष एवं विशेषाधिकारी
निर्वाचन विभाग, राज.जयपुर

निर्वाचन विभाग
राजस्थान सरकार

बोली आमंत्रण–सूचना

निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर में स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक वर्ष के लिए पार्टस सहित वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC with Parts) किए जाने हेतु पंजीकृत बोलीदाताओं से मुहरबंद (तकनीकी–वाणिज्यक एवं वित्तीय)खुली प्रतियोगी बोली निम्नांकितानुसार आमंत्रित की जाती है :–

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत रू.	बोली प्रतिभूति शुल्क रू.	बोली प्रपत्र शुल्क रू.	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी वाणिज्यक बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरण की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक वर्ष की अवधि हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध पार्टस सहित (AMC with Parts)	2,50,000	5000	100	19.01.2026 दिनांक 03.00 बजे	19.01.2026 दिनांक 04.30 बजे

बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व विभागीय वेबसाईट **election.rajasthan.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

Bid Data Sheet (BDS)		
1.	Reference of Invitation of Bids	S.No: F.1(27)III/C/Elec./2025/Dated:
2.	Name & Address of officer as the Procuring Entity (PE)** and for clarification purposes	Election Department (ED), Secretariat, Rajasthan, Jaipur-302005 Name: Suresh Chandra Designation: OSD Address: Election Department, Food Building, Secretariat, Jaipur (Rajasthan), Jaipur – 302005 Phone No.: 0141-2227255 E-Mail: **osd.electionrj@gmail.com**
3.	Placing Work Order/Payment Authority	OSD, Election Department, Rajasthan, Jaipur.
4.	Subject Matter of Procurement	"Open bid is invited by Election Department for Annual Maintenance of Computers, Printers with parts and Other Services
5	Period of Contract	One year
6.	Bid Procedure	Single stage Two envelope bidding
7	Bid Evaluation Criteria(Selection Method)	Work will be allotted on lowest rate to L1 firm, in exceptional case work may be divided at lowest rate.
8.	Website for downloading bidding document, Corrigendum's, Addendum etc.	http://sppp.rajasthan.gov.in http://_election.rajasthan.gov.in
9.	Bid Document Fee	Rs. 100/- (Rupees Five hundred only)
10.	Estimated Procurement Cost	Rs. 2.5 Lacs (Rs.Two Lac fifty thousand only)
11.	Bid Security and Mode of Payment	**2% of the estimated value**[(0.5% of the above procurement of bid in case of Small Scale Industries of Rajasthan, 1% of the value of bid in case of Sick Industries of Rajasthan (refer details given in this bid)] Mode of Payment: Bid security deposit in favour of "Chief Electoral Officer, Rajasthan" payable at "Jaipur" of Scheduled Bank
12.	**Period of Sale of Bidding Document (Start/End Date)**	**Start Date:- 06-01-2026** **End Date: 19-01-2026 3.00 Hrs.**
13.	**Submission of Banker's Cheque/DD for Tender Fee, Bid Security**	**Start Date: - 06-01-2026** **End Date: - 19-01-2026 03:00 PM**
14.	**Date for the Submission of Bids**	**Manner:Offline Bid Submission, at OSD chamber Food Building, Secretariat, Jaipur, Rajasthan up to 19-01-2026 till 03:00 Hrs.**

15.	**Date/Time/Place of Technical Bid Opening**	**19-01-2026 04:30 PM** **Place: Chamber of OSD Food Building, Secretariat, Jaipur**
16.	Bid Validity	90 days from the bid submission last date of bid submission
17.	Language of Bid	English/Hindi
18.	Alternate Bids	Not Permitted
19.	Bid Submitted	Original Bid: Unconditional and with no deviation
20.	Bidder's Detail	

तकनीकी–वाणिज्यक बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम...
2. डाक का पता...
3. फोन/मोबाईल नम्बर...
4. ई–मेल...
5. बैंक का नाम..

   IFSC Code...

   खाता संख्या...

(तकनीकी योग्यता हेतु निर्धारित मापदण्ड)

6. बोलीदाता/फर्म का कार्यानुभव :–

(i) बोलीदाता के पास कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण स्वरूप बोलीदाता/फर्म का पंजीयन दिनांक 01.01.2023 के बाद नहीं होना चाहिए। पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति तकनीकी–वाणिज्यक बोली (लिफाफा–अ) के साथ संलग्न करना होगा।

(ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में सरकारी विभागों/सरकारी ईकाईयों/निगम/संस्था/बैंकों में कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए.एम.सी) व्यवसाय का किसी भी वित्तीय वर्ष का न्यूनतम रूपये 2.00 लाख का एक (1) कार्यादेश एवं संबंधित विभाग/संस्था का संतोषजनक सेवा प्रमाण की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति तकनीकी–वाणिज्यक बोली (लिफाफा–अ) के साथ संलग्न करना होगा।

कार्य अनुभव का विवरण जहॉ ए.एम.सी.संबंधित कार्य किया गया है :–

S.No.	Name of the Department/Office	Duration work order	No.of Devices under AMC Work order					
			PCs	Laptop	Laser Printer	UPS	Scanner	Any/Other
Year 2022-23								
1								
2								

Total								
Year 2023-24								
1								
2								

Total								
Year 2024-25								
1								
2								

Total								
Grand Total								
Average amount								

7. बोली प्रतिभूति राशि रू 5000/– एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 100/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "**मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राज.जयपुर**" के पक्ष में बनाना होगा। बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क eGRAS चालान के माध्यम से भी जमा कराई जा सकती है। जिन बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्रों के साथ बोली प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई जायेगी उनकी बोली निरस्त कर दी जायेगी।
8. बोलीदाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर (GST) में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति तकनीकी–वाणिज्यिक बोली (लिफाफा–अ) के साथ संलग्न करना होगा।
9. बोलीदाता को आयकर विभाग का पैनकार्ड (PAN Card) की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति तकनीकी–वाणिज्यिक बोली (लिफाफा–अ) के साथ संलग्न करना होगा।
10. .... जयपुर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक एफ..दिनांक.......................में वर्णित सभी शर्तो

से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों मे दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

11. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

12. तकनीकी योग्यता हेतु आवश्यक दस्तावेजो की सूची।

    i. फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र।
    ii. कम संख्या 06 (ii) में उल्लेखित कार्य अनुभव हेतु जारी कार्यादेश।
    iii. कम संख्या 06 (ii) में उल्लेखित कार्य अनुभव हेतु संबंधित विभाग संस्था का सन्तोषजनक सेवा प्रमाण–पत्र।
    iv. फर्म का GST पंजीयन प्रमाण–पत्र।
    v. बोलीदाता का पेन/टेन कार्ड की प्रति।
    vi. बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी./चालान।
    vii. बोली प्रपत्र शुल्क का डी.डी./चालान।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

बोली की सामान्य शर्ते

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013, जिसे आगे "अधिनियम व नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश निर्देश आदि प्रभावी रहेगें। बोलीदाता को अधिनियम एवं नियम की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त अधिनियम एवं नियम में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधान ही अभिभावी होगें।
2. बोलीदाता द्वारा बोली यथा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी–वाणिज्यिक बोली के साथ (वित्तीय बोली प्रपत्र को छोडकर) बोली के अनुसार समस्त प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज एक लिफाफे में सील बन्द करें। उक्त लिफाफे पर कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) तकनीकी वााणिज्यिक बोली (लिफाफा अ) आवश्यक रूप से लिखें। वित्तीय बोली (लिफाफा–ब) जिसमें वित्तीय दरें अंकित की जाएगी उसे एक दूसरे लिफाफे जिस पर कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए.एम.सी.) वित्तीय बोली (लिफाफा–ब) आवश्यक रूप से लिखा हो में सील बन्द करें। उक्त दोनों लिफाफों की एक बड़े लिफाफें में रख कर सील बन्द करें तथा उस पर कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए.एम.सी.) 2025–26 बोली अंकित कर सीलबन्द कर जमा कराने होगे।
3. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली वाले लिफाफें में भरा हुआ बोली प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज, जो मांगे जा रहे है, रखे जायेगे। बोलीदाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी बोलीदाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में दिया जाता है तो उसकी बोली निरस्त की जा सकेगी।
4. प्राप्त बोली को दिनांक 19.01.2026 को दोपहर 4.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित उपापन समिति द्वारा बिना प्रतीक्षा किए निर्धारित समय पर **निर्वाचन विभाग खाद्य भवन फस्ट फ्लोर कक्ष संख्या 7126**, जयपुर में खोली जायेगी। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस की बोली खोली जायेगी।
5. बोली प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सील से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
6. बोलीदाता अपनी बोली या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा और नहीं किसी को आगे बोली पर दे सकेगा।

7. कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए.एम.सी) की दरे **ए.एम.सी**. की दिनांक से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। जिसको नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
8. ए.एम.सी. सर्वर, कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों, स्कैनर्स, एम.एफ.पी. इत्यादि (संलग्न सूची अ अनुसार) में प्रयुक्त इलेक्ट्रोनिक्स व इलैक्ट्रिकल स्पेयर पार्टस सहित होगी। Consumable items जैसे रिबन, कार्टरिज, टोनर, कागज, यूपीएस एवं लेपटॉप की बैटरी ए.एम.सी. में सम्मिलित नहीं होगें। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त पार्टस यथा Cables, Mouse, Keyboard, fuser assembly किट / maintenance किट, (प्रेशर रोलर, टेफलोन शीट सहित) सम्मिलित होगें तथा हार्डवेयर यदि पावर के कारण डेमेज (खराब) या लिकविड डेमेज (खराब) हो जाता है तो ए.एम.सी. में ही शामिल होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. अनुरक्षण में शामिल सर्वर कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों, स्कैनर्स, एम.एफ.पी. इत्यादि (संलग्न "अ" सूची अनुसार) निर्वाचन विभाग, राज.जयपुर में जहां स्थापित एवं जैसी स्थिति में संचालित है उन पर वार्षिक अनुरक्षण लागू होगा।
10. यदि किसी उपकरण में कोई स्पेयर पार्ट को बदलने की आवश्यकता होती है तो उपकरण की निर्माता कम्पनी के Genuine स्पेयर पार्ट ही लगाने होगें।
11. ए.एम.सी. के अन्तर्गत समस्त उपकरणों की त्रैमासिक (प्रारम्भ में) प्रिवेंटिव मेंटिनेंस की जाएगी। कॉल बुकिग तथा प्रिवेंटिव मेंटिनेन्स हेतु विभागीय कार्यालय तथा सेवा प्रदाता कार्यालय में अलग–अलग रजिस्टर संधारित किये जाएंगे, जो कि स्टोर कीपर एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्रत्येक माह के अन्त में प्रमाणित कराया जावेगा।
12. कम्प्यूटर में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सम्बन्धी समस्त परेशानियों का भी निराकरण सेवाप्रदाता द्वारा करना होगा।
13. परिनिर्धारण नुकसान (Liquidity Damage) (i) सर्वर / कम्प्यूटर/प्रिन्टर, स्कैनर, एम. एफ.पी. इत्यादि (संलग्नः सूची "अ" अनुसार) खराब होने की रिपोर्ट कराने से आगामी चार कार्य घंटो में सम्बन्धित उपकरण का निरीक्षण होना चाहिए एवं सही कर दिया जाना चाहिये। यदि कॉल 24 घण्टे पश्चात भी सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो 100/– रुपये प्रतिदिन के अनुसार दण्डस्वरूप लगाया जावेगा। यदि उपकरण को सही करने हेतु एक कार्य दिवस से अधिक समय लगने की संभावना हो तो समकक्ष या उच्च स्तर का स्टैण्ड बाई उपकरण लगाना होगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं अधिकतम सात दिवस में मूल उपकरण ठीक कर आवश्यक रूप से पुनः इन्स्टॉल करना होगा। यदि सेवा प्रदाता द्वारा 7 दिवस पश्चात कार्य किया जाता है तो 7 दिवस पश्चात के दिनों की संख्या को 100/– रूपये प्रतिदिन के अनुसार दण्ड स्वरूप लगाया जाकर वसूली की जायेगी।

(i) सेवा प्रदाता द्वारा समय पर संतोषजनक सेवा प्रदान नही करने पर उक्त कार्य बाजार से कराया जा सकता है एवं अतिरिक्त व्यय राशि की वसूली अनुबंधित सेवाप्रदाता से की जायेगी।

(ii) अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत बोलीदाता से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से/ भुगतान योग्य राशि में कटौती करके की जावेगी।

14. दर संविदा के अधीन कीमतें गिरने का खण्ड के अध्यधीन होगी। यदि दर संविदा धारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दरें संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

15. वारंटी / गारंटी खण्ड :– बोलीदाता यह गारटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से कम से कम 12 माह तक की अवधि तक तथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/ सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है. यदि 12 माह तक की उक्त अवधि में, उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है तथा उस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा, तो क्रेता उक्त मालों/ सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रदद् करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाये तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे उपापन संस्था द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में उपापन संस्था के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

16. बोली प्रपत्र शुल्क रु. 100/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रू. 5000/– e-GRAS चालान एवं Bank Draft के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।

17. बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security)

(1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी

जायेगी, अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है,

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय / संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की सहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

18. बोलियों की विधि मान्यता की कालावधि (Period of validity of bids)– बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि 90 दिवस होगी।

19. मूल्यांकन की कसौटी :– तकनीकी वाणिज्यिक बोली में क्वालिफाईड / सफल बोलीदाता की वित्तीय बोली के समस्त मदों की कुल न्यूनतम राशि के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण किया जावेगा।

20. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity)–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के अध्यधीन कम्प्यूटर उपकरणों की संख्या संशोधित की जा सकती है। कम्प्यूटर उपकरणों ए.एम.सी. **प्रारम्भ होने से** एक वर्ष तक के लिए है, परन्तु कुछ उपकरणों की वारण्टी इस अवधि के मध्य में समाप्त हो रही है। अतः उनकी ए.एम.सी. उसकी वारण्टी समाप्त होने के उपरान्त ही शुरू होगी तथा उसी समयावधि एवं संख्या के अनुपात में भुगतान होगा।

21. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) कार्य सम्पादन प्रतिभूति कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में या राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी

(1) किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक,

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 60 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

22. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security)– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप निम्नलिखित मामलों में समपहन किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय /सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

23. करार का निष्पादन (Execution of agreement)–

(1) सफल बाली लगाने वाले, की बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन विभाग राज.जयपुर को अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

(2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बाली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन लिखित उपापन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को,स्वीकृत का प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर रु. 500/– मूल्य के न्यायिकंतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

24. भुगतान प्रक्रिया (Mode of Payment) –

(i) ए.एम.सी. के अन्तर्गत बिल का भुगतान त्रैमासिक किया जावेगा। प्रति तिमाही के अन्त में स्टोर शाखा से कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने की टिप्पणी प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा एवं कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ii) नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि में से की जाने वाली कटौतिया यथा टी. डी.एस. इत्यादि काटकर ही भुगतान किया जावेगा। कटौतियॉ/जीएसटी कर की कटौती का प्रमाण पत्र नियमानुसार निर्वाचन विभाग द्वारा बोलीदाता को जारी किया जायेगा।

25. अनुमोदित संवेदक द्वारा कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि उपकरणों का प्रारम्भिक निरीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात उक्त उपकरणों को AMC में सम्मिलित करने हेतु संवेदक को सुपुर्द किया जायेगा एवं AMC में सम्मिलित करने की दिनांक से ही AMC प्रभावी मानी जायेगी। यदि किसी उपकरण को किसी कारण से AMC में

विलम्ब से सम्मिलित किया जाता है तो AMC में सम्मिलित करने की दिनांक से गणना करते हुये आनुपातिक भुगतान किया जायेगा।

26. AMC अवधि पूर्ण होने तक AMC में शामिल उपकरणों को चालू हालत (सुविधाजनक रूप से उपयोग में लेने योग्य स्थिति) में बनाये रखने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा इस हेतु मेंटेनेन्स एवं पार्टस पर होने वाला समस्त व्यय संवेदक को वहन करना होगा।

27. AMC पूर्ण होने पर AMC में सम्मिलित सभी उपकरणों को चालू हालत में भौतिक सत्यापन करवाते हुये विभाग को सुपुर्द करना होगा।

28. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

29. सदभावी बोलीदाता कम्प्यूटर्स एवं अन्य हार्डवेयर सामग्री का किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में अवलोकन कर सकेगा। किसी प्रकार की जानकारी हेतु स्टोर प्रभारी श्री विरेन्द्र सिंह मो.नं. 9079037070 से सम्पर्क कर सकता है।

30. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या / संदेह हो तो दूरभाष नं. 0141–2922736 ई–मेल fa.election@gmail.com से सम्पर्क किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर,
दिनांक व नाम, पूर्ण पता मोहर सहित

सूची–'अ'

(Total number of Computer and other hardware list)

कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण (ए.एम. सी) किए जाने वाले उपकरणों की अनुमानित सूची :–

S.N.	Name of Computer & Peripherals	Qty.
1	2	3
	Computer	
1	Nodes HCL i5	3
2	Nodes Acer i5	34
3	Nodes HP i7	9
4	Nodes Dell i7 (All-in-One)	1
5	Nodes Lenovo i5 (All-in-One)	1
	Total	**48**
	Scanner	
6	Scanner HP 3000 sz	3
	Total	**3**
	UPS	
7	5-KVA	1
	Total	**1**
	Laser Printers/MFPs	
8	HP 1606 dn	10
9	HP 425 MFP	2
10	HP MFP M227fdn	5
11	HP Colour M254 NW	1
12	Sumsung M2876ND	1
13	HP 226 DW	1
14	RICOH 310 DN	4
	Total	**24**

कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर की संख्या अनुमानित है, जिनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है, उक्त संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। हार्डवेयर के कॉन्फीग्रेशन में भी कही कुछ अन्तर हो सकता है।

दिनांक :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक/मशीन/उपकरण/सामग्री उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एंव कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समप्रहत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process,
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurementprocess;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners' shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them:, or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid,or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to...................for Procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No...............Dated ....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity,

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have myfour affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons:

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to deberment proceedings:

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place :

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

First Appellate Authority : CHIEF ELECTORAL OFFICER AND EX- OFFICIO PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT,ELECTION DEPARTMENT, RAJASTHAN,JAIPUR

Second Appellate Authority : Secretary, Finance (Budget) Department,GoR

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical

Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely : -

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non- refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank dernand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall -

(1) hear all the parties to appeal present before him: and
(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter the Appellate Authonty concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No............................ .of.....................

Before the.................................(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address.

2. Name and address of the respondent (s):
(1)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6.Grounds of appeal :...
....
....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer
....
....
....

Place Date.............................
Date......................................

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Se on the following basis:

i. if these is a discrepancy between dhe unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected: and

III. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail,unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevar subject to (i) and (ii) above. if the Bidder that submitted the lowes; evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities - As per rules 73 of RTPP Rules, 2013

वित्तीय बोली प्रपत्र

(वित्तीय बोली प्रपत्र भर कर "लिफाफा–ब" में रख कर सील बंद किया जावे)

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा कार्यालय का पूर्ण पता

M/s..

E-Mail..

Mobile No..

निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर में स्थापित कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स एवं स्केनर इत्यादि के वार्षिक मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु दरें समस्त करों एवं स्पेयर पार्ट सहित निम्न प्रकार है :–

S.N.	Name of Computer & Peripherals	Qty.	Rate per item (Including GST)		Total amount for given quantity (Including GST)
1	2	3	In figure	In words	
	Computer				
1	Nodes HCL i5	3			
2	Nodes Acer i5	34			
3	Nodes HP i7	9			
4	Nodes Dell i7 (All-in-One)	1			
5	Nodes Lenovo i5 (All-in-One)	1			
	Total	**48**			
	Scanner				
6	Scanner HP 3000 sz	3			
	Total	**3**			
	UPS				
7	5-KVA	1			
	Total	**1**			
	Laser Printers/MFPs				
8	HP 1606 dn	10			
9	HP 425 MFP	2			
10	HP MFP M227fdn	5			
11	HP Colour M254 NW	1			
12	Sumsung M2876ND	1			
13	HP 226 DW	1			
14	RICOH 310 DN	4			
	Total	**24**			

कम्प्यूटर एवं अन्य हार्डवेयर की संख्या अनुमानित है, वास्तविक कार्य उक्त संख्या से कम या ज्यादा हो सकता है। हार्डवेयर के कॉन्फीग्रेशन में भी कही कुछ अन्तर हो सकता है। संवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों पर ही कार्य करना होगा।

नोट :– उपरोक्त क्रमांक 1 से 14 की वार्षिक रख–रखाव एवं मरम्मत की ए.एम.सी. की कुल राशि रू...............................(अंकों में) रूपये ....(शब्दों में) GST सहित होगी।

दिनांक :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

Annexure: 5

DRAFT AGREEMENT OF CONTRACT FORMAT
{to be mutually signed by selected bidder and procuring entity}
(This agreement shall be executed on the non-judicial stamp-paper)

Agreement

An agreement made this .... day of .... between ....
(hereinafter called "the Supplier and service provider" [here "the means selected bidder"]), which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and the Governor of Rajasthan/ .... (name of the Procuring Entity which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Procuring Entity invited Bids for annual maintenance of computers and other services certain Goods and Related Services, viz.,____ and has accepted a Bid by the Supplier and service provider for providing services for the sum of _____________________ (amount in figures and words) (herein after "the Contract Price").

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract referred to.
2. The bid document issued vide even No. ...... dated ....and work order No. .... date .... shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
3. Period of contract will be .... to ....
4. In consideration of the payments to be made by the Procuring Entity to the service provider as indicated in this Agreement, the service provider hereby covenants with the Procuring Entity to provide the Goods and Related Services and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
5. The timelines for the prescribed Scope of Work, requirement of services and deployment of resources shall be effected from the date of work order i.e. ____________ and completed by service provider within the period as specified in the bid document and as per directions given by Election Department Rajasthan Jaipur.
6. In case of extension in the delivery and/ or installation period/ completion period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores/ works which supplier has failed to supply/ install/ complete:-

Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period, successful installation &completion of work	2.5 %
Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period, successfulinstallation & completion of work.	5.0 %
Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period,successful installation & completion of work.	7.5 %
Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period, successful installation &completion of work.	10 %

Note:

i. Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies/ maintenance services shall be eliminated if it is less than half a day.
ii. The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.
iii. If supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the work order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.
iv. Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods in on account of hindrances beyond the control of supplier

7. The RTPP Act, 2012/Rules, 2013 promulgated, their amendments issued by the State Government shall also be the part of this contract agreement.
8. The Election department hereby covenants to pay the Supplier and service provider in consideration of the provision of the Goods and Services and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the time and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of the Central and the State Government on the day, month and year first mentioned herein before.

Signed By:	Signed By:
() Designation:, Company:	( ) Designation: Election Department, Govt. of Rajasthan
In the presence of:	In the presence of:
() Designation: Company:	() Designation: Election Department, Govt. of Rajasthan
( ) Designation: Company:	() Designation: Election Department, Govt. of Rajasthan